

फर्द अहकाम

(नियम 13)

09

GCPMS
2020/00009
28.10.2020

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम


श्री. सोना

हलका निबंलकोट

पुत्र श्री. मिसु जाति द्वारी

निवासी निबंलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.09/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका <u>निबंलकोट</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2077</u> में मौजा <u>निबंलकोट</u> के खसरा नंबर <u>177</u> रकबा <u>20009 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>अ.मु.क</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>29-7-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
29-7-2020	पत्रावली माफ पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल को एक और सुवसर डिमांज जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	 <u>सोना</u> <u>जी</u> प. निबंलकोट

13-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साफल अनुपाष्टि।
पटवारी टल्का अनुपाष्टि। पत्रावली दिनांक
26-8-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साफल
अनुपाष्टि। पटवारी टल्का उपस्थित।
गैर साफल को अतिरिक्त घोषित करत
हूए पत्रावली फैलण सुगार हो।

निर्णय अलग से लिखि जाकर शिखर
पत्रावली हो। निर्णय रुकुके प्राप्तालय
के सुनाण जाण। पत्रावली फैलण
सुगार होकर शिखर इफ्तार हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

प. निम्बलकोट